रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273990
CG-DL-E-02072026-273990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 549(अ).— विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ज) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी)- विधानमंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए मानक आवंटन और स्कीम के खर्चों से अधिक राज्य द्वारा किए गए व्यय की रीति और प्रक्रिया नियम 2026 नामक कतिपय नियमों का प्रारूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि....(अ)403 तारीख 22 मई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की अवसान से पूर्व अक्षेप व सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां 22 मई, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जा चुका है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ज) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत - जी राम जी विधानमंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए मानक आवंटन और स्कीम के खर्चों से अधिक राज्य द्वारा किए गए व्यय की रीति और प्रक्रिया नियम 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "अतिरिक्त व्यय" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम के अधीन किए गए कोई भी ऐसा व्यय अभिप्रेत है जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित राज्य-वार मानक आवंटन से अधिक हो, और कोई भी अतिरिक्त राशि जो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को अधिनियम की धारा 22 के अधीन वहन करनी अपेक्षित हो।

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विधानमंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए स्कीम के व्यय: विधान मंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्र के लिए, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन स्कीम का संपूर्ण व्यय वहन करेगी, जिसे केंद्रीय सरकार के विद्यमान वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और तंत्रों के अनुसार जारी किया जाएगा।

4. राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अतिरिक्त व्यय के लिए नीति एवं प्रक्रिया.- (1) केंद्रीय स्तर पर पारदर्शिता, निगरानी और सूचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अनुमोदित मानक आवंटन से अधिक व्यय सहित, स्कीम के अंतर्गत सभी व्यय निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे।

(2) अभिहीत प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यय की घटकवार और स्रोतवार रिपोर्टिंग को सक्षम बनाएगी जिससे केंद्रीय सहायता से वित्तपोषित भाग और मानक आवंटन से परे व्यय के कारण राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित भाग को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

(3) ऐसी सभी रिपोर्टिंग और सत्यापन अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से और केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित विद्यमान निधि प्रवाह तंत्र के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी।

(4) अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज किए गए मानक आवंटन से परे व्यय से संबंधित डाटा, स्कीम के अधीन समीक्षा, लेखापरीक्षा और वित्तीय प्रबंधन के लिए अभिलेखों का भाग होगा।

[फा. सं. जे-11060/45/2026/आर. ई.-VI]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

G.S.R. 549(E).— Whereas the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) – Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union Territories without legislature Rules, 2026 were published, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 403 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 22nd May, 2026;

And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union territories without legislature Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);

(b) "excess expenditure" means any expenditure incurred under the Scheme by the State Government or Union territory Administration that exceeds the State-wise normative allocation determined by the Central Government for a financial year and any additional amount that the State or union territory is required to bear under section 22 of the Act;

(c) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Expenses of scheme for the Union territories without legislature.– For the Union territories without a legislature, the Central Government shall bear the entire expenditure of the Scheme under sub-section (3) of section 22 of the Act, which shall be released in accordance with the extant financial rules, procedures, and mechanisms of the Central Government.

4. Manner and procedure for excess expenditure by States or Union territories.- (1) For the purposes of ensuring transparency, monitoring and informed assessment at the Central level, all expenditure under the Scheme, including expenditure in excess of the approved normative allocation, shall be captured through the designated Management Information System.

(2) The designated Management Information System shall enable component-wise and source-wise reporting of expenditure so as to distinctly identify the portion financed from Central assistance and the portion financed by the State Government on account of expenditure beyond the normative allocation.

(3) All such reporting and validation shall be carried out electronically through the designated Management Information System and in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government.

(4) Data relating to expenditure beyond normative allocation captured in the designated Management Information System shall form part of records for review, audit and financial management under the Scheme.

[F. No. J-11060/45/2026/RE-VI]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA